संख्याः 14/2020/1265/77-6-2020-23(एम)/17

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 04 जून, 2020**

विषय : निवेश सहमति-पत्रों (एम.ओ.यूज़) हेतु अनुश्रवण तंत्र के सम्बंध में।

महोदय,

वर्तमान सरकार की नीतियों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन को देश-विदेश के निवेशकों से प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश हेतु निरन्तर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है। दिनांक 21 व 22 फरवरी 2018 को आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 में निवेशकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के साथ रु.4.28 लाख करोड़ के 1045 सहमति-पत्रों (एम.ओ.यूज़) हस्ताक्षरित किए गए थे। तदोपरान्त, दिनांक 29 जुलाई 2018 को, प्रथम् ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 81 निवेश प्रस्तावों (एम.ओ.यू.) का शुभारम्भ किया गया तथा दिनांक 28 जुलाई 2019 को आयोजित द्वितीय ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह में 290 निवेश प्रस्तावों (एम.ओ.यू.) का शुभारम्भ हुआ। उक्त दोनों ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोहों में प्रारम्भ किए गए कुल 371 एम.ओ.यू. क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं तथा दिनांक 17 मार्च 2020 तक इन 371 एम.ओ.यू. में से 106 निवेश परियोजनाओं में वाणिज्यिक संचालन सफलतापूर्वक प्रारम्भ हो चुका है।

मुख्य सचिव स्तर पर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठकों में नियमित रूप से एम.ओ.यूज़ के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाता है तथा विभागीय स्तर पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिवों द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक सम्बंधित विभाग में नोडल अधिकारियों को भी नामित किया गया है।

शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि निवेश परियोजनाओं के अनुश्रवण तथा सुविधाजनक व निर्बाध रूप से त्वरित क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से युक्त सुगम संस्थागत तंत्र के माध्यम से राज्य में स्थापित की जा रही निवेश परियोजनाओं के जीवन-चक्र का अधिक प्रभावी अनुश्रवण किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंचों व अवसरों तथा 'इन्वेस्ट इण्डिया' (भारत सरकार का संगठन) के एक अध्ययन दल द्वारा भी इस बिन्दु पर प्रकाश डाला गया है कि यद्यपि उद्योगों व निवेशकों तथा उत्तर प्रदेश शासन के मध्य उद्योग बन्धु को एक सेतु अथवा इंटरफेस की भांति कार्य करते रहने की आवश्यकता है, तथापि इस प्रक्रिया में क्षेत्रवार सम्बंधित विभागों की भी और अधिक सक्रिय भूमिका होने पर और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये विभाग अपने विषय-ज्ञान के साथ-साथ राज्य में निवेशकों के लिए समग्र दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं।

उपर्युक्त बिन्दुओं तथा सुझावों के आलोक में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक नवीन एवं प्रभावी एम.ओ.यू. अनुश्रवण तंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. **उद्देश्य**

एम.ओ.यू. अनुश्रवण तंत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् होंगे-

- राज्य में परियोजना के जीवन-चक्र की अवधि में निवेश परियोजना अनुश्रवण तंत्र का संस्थागतकरण/संस्थायन (institutionalisation) ।
- एम.ओ.यू .क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया का मानकीकरण करना।
- विभिन्न स्तरों पर एम.ओ.यू .के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करना।
- निवेशकों तथा शासन के अन्य समस्त हितधारकों को एकल) सिंगल (इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना।
- निवेश की प्रक्रिया को सुगम बनाना तथा प्रभावी लक्ष्यीकरण के लिए निवेशकों की सुविधा आवश्यकताओं को चिन्हित करना।
- एम.ओ.यू .ट्रैकिंग पोर्टल के माध्यम से विभागों के साथ ऑनलाइन संचार व संवाद के लिए निवेशकों को एक विकल्प उपलब्ध कराना।

3. **ऑनलाइन एम.ओ.यू. ट्रैकिंग पोर्टल**

एम.ओ.यू. ट्रैकिंग एवं अनुश्रवण तंत्र के प्रबंधन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु उद्योग बन्धु द्वारा एक ऑनलाइन एम.ओ.यू. ट्रैकिंग पोर्टल विकसित किया गया है, जिसको राज्य के सिंगल विण्डो पोर्टल - निवेश मित्र (https://niveshmitra.up.nic.in) में एकीकृत व संरेखित किया गया है। एम.ओ.यू. ट्रैकिंग पोर्टल के तकनीकी प्रबंधन के लिए 'उद्योग बन्धु' नोडल संस्था होगी। यदि किसी अधिकारी को पोर्टल के संचालन में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है, तो मोबाइल नं. 094151-57990 पर उद्योग बन्धु से सम्पर्क किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश शासन के समस्त सम्बंधित विभागों को पोर्टल के उपयोगार्थ दो पृथक-पृथक लॉगिन आईडी प्रदान किए जा चुके हैं। इसमें से एक विभाग के प्रशासनिक प्रमुख (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव) के लिए है तथा दूसरा विभाग स्तर पर उपयोग के लिए है। वर्तमान में विद्यमान समस्त एम.ओ.यू़ज़ का विवरण उक्त पोर्टल पर पूर्व से ही उपलब्ध होगा तथा प्रत्येक एम.ओ.यू. सम्बंधित विभाग के साथ मैप होगा। एम.ओ.यू. के सफल व त्वरित क्रियान्वयन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित एम.ओ.यू. विभाग का होगा। इस पोर्टल पर सम्बंधित एम.ओ.यू. विभाग द्वारा विद्यमान एम.ओ.यू. के स्टेटस में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश शासन के किसी भी विभाग के साथ हस्ताक्षरित समस्त नवीन एम.ओ.यू. की प्रविष्टि एम.ओ.यू. ट्रैकिंग पोर्टल में करना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर नए एम.ओ.यू. की प्रविष्टि करने हेतु सम्बंधित विभाग को प्रश्नगत् एम.ओ.यू. की प्रति उद्योग बन्धु के साथ साझा करनी होगी।

इसके साथ ही प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त भी निर्दिष्ट लॉगिन के माध्यम से पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे।

इस शासनादेश के प्रस्तर 5 में उल्लिखित समस्त एम.ओ.यू. वार नामित नोडल अधिकारियों को एम.ओ.यू. वार ट्रैकिंग पोर्टल के लिए पृथक-पृथक लॉगिन आईडी प्रदान किए जाएंगे। एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति तथा निवेशक के समक्ष आने वाली समस्याओं अथवा प्रकरणों से सम्बंधित सूचना को समीक्षा बैठकों में तथा एम.ओ.यू. ट्रैकिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराने का पूर्ण दायित्व इन नोडल अधिकारियों का होगा।

एम.ओ.यू. ट्रैकिंग पोर्टल पर विभिन्न मापदण्डों के आधार पर आख्याएं (रिपोर्ट्स) भी तैयार होंगी। इन रिपोर्ट्स को प्रत्येक माह मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित होने वाली प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठकों में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. विभागों को एम.ओ.यू. आवंटन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निवेशकों के साथ हस्ताक्षरित होने वाले समस्त एम.ओ.यू. को उनके क्षेत्र/सेक्टर के अनुसार सम्बंधित विभागों को आवंटित कर दिए जाएंगे। उक्त विभाग इन एम.ओ.यूज़ के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगे। एम.ओ.यू. ट्रैकिंग पोर्टल इन एम.ओ.यूज़ के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के ट्रैकिंग माध्यम के रूप में कार्य करेगा तथा इसके द्वारा निवेशकों की समस्याओं का निराकरण भी कराया जाएगा।

यदि एकल एमओयू में निवेशकों द्वारा अनेक परियोजनाओं का आशय व्यक्त किया जाता है, तो अनुश्रवण की दृष्टि से प्रत्येक परियोजना को एकल एम.ओ.यू. माना जाएगा तथा इस अनुश्रवण तंत्र के प्रयोजनार्थ सम्बंधित विभाग के साथ मैप (आवण्टित) किया जाएगा।

जिन विभागों के एम.ओ.यूज़ में प्रस्तावित निवेश की संचयी/कुल धनराशि रु. 1 लाख करोड़ हो अथवा एम.ओ.यूज़ की संख्या 200 से अधिक हो, उन विभागों में एम.ओ.यूज़ के क्रियान्वयन के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) की स्थापना की जाएगी तथा जिन विभागों से सम्बंधित एम.ओ.यूज़ की संख्या अथवा प्रस्तावति निवेश की धनराशि उपर्लिखित से कम होगी, उन विभागों में एम.ओ.यू. अनुश्रवण प्रकोष्ठ स्थापित किये जाएंगे। सम्बंधित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव (प्रशासनिक प्रमुख) पी.एम.यू. के अध्यक्ष होंगे। पीएमयू के अन्य सदस्यों को एम.ओ.यू. विभाग द्वारा नामित किया जा सकता है तथा आवश्यकतानुसार प्रतिस्थापित किया जा सकता है। विभागीय पी.एम.यू. में अन्य ऐसे सम्बंधित विभागों के प्रतिनिधियों को भी सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जाएगा, जिनसे निवेशकों को सहायता की आवश्यकता की सम्भावना हो। पी.एम.यू. द्वारा प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक करनी आवश्यक होगी।

उद्योग बन्धु द्वारा निवेश को सुगम बनाने एवं निवेश प्रोत्साहन का कार्य पूर्व की भांति निष्पादित किया जाता रहेगा। तथापि सम्बंधित एम.ओ.यू. के नोडल विभाग द्वारा प्रत्येक एम.ओ.यू. हेतु निवेश को सुगम बनाने हेतु एक विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारियों को नामित करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी-

1. रु. 500 करोड़ से कम के प्रत्येक निवेश प्रस्ताव के सापेक्ष एम.ओ.यू. विभाग द्वारा प्रत्येक परियोजना हेतु कम से कम मण्डल स्तर के अधिकारियों को नामित किया जाएगा।
2. रु. 500 करोड़ से रु. 2,000 करोड़ तक के प्रत्येक एम.ओ.यू. के सापेक्ष एम.ओ.यू. विभाग द्वारा प्रत्येक परियोजना हेतु विशेष सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारियों को नामित किया जाएगा।
3. रु. 2,000 करोड़ से अधिक के प्रत्येक एम.ओ.यू. हेतु सम्बंधित एम.ओ.यू. विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नोडल अधिकारी होंगे।
4. विभाग अपनी आवश्यकतानुसार उक्त उल्लिखित नोडल अधिकारियों से वरिष्ठ अधिकारियों को भी नोडल अधिकारी नामित कर सकते हैं।

5. **एम.ओ.यू. अनुश्रवण की प्रक्रिया**

एम.ओ.यूज़ का अनुश्रवण एम.ओ.यू. ट्रैकिंग पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा तथा एम.ओ.यू. विभाग द्वारा मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करवाई जाएंगी। इन बैठक का संचालन निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा-

1. कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों के रु. 2,000 करोड़ से अधिक के एम.ओ.यूज़ की समीक्षा बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में संबंधित विभाग द्वारा आयोजित करायी जाएगी।
2. कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य समस्त क्षेत्रों के रु. 2,000 करोड़ से अधिक के एम.ओ.यूज़ की समीक्षा बैठक अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संबंधित विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी।
3. रु. 500 करोड़ से रु. 2,000 करोड़ तक के एम.ओ.यूज़ की समीक्षा बैठक सम्बंधित एम.ओ.यू. विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. रु. 500 करोड़ से कम के एम.ओ.यू़ज़ की समीक्षा बैठक सम्बंधित मण्डल, जहां परियोजना प्रस्तावित हो, के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग द्वारा आयोजित करायी जाएगी।
5. प्रत्येक दो माह पर समस्त एम.ओ.यूज. की समीक्षा विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी।

6. **एम.ओ.यू. वार नामित नोडल अधिकारियों के कार्य तथा उत्तरदायित्व**

नोडल अधिकारी

I. एम.ओ.यू़ज़ के नोडल अधिकारी निवेश प्रस्ताव की दिन-प्रतिदिन की प्रगति को ट्रैक करने के साथ-साथ एम.ओ.यू .हस्ताक्षरकर्ता के संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करेंगे।
II. नोडल अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रस्तर-5 में प्रावधानित समीक्षा बैठक में एम.ओ.यू .के क्रियान्वयन से सम्बंधित विषयों से अवगत कराए।
III. अपने से संबंधित प्रत्येक एम.ओ.यू .के क्रियान्वयन की अद्यावधिक स्थिति को समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के साथ माह की पांच तारीख तक पोर्टल पर अपडेट करना।

7- **एम0ओ0यूज से सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के दायित्व :-**

I. प्रस्तर-4 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक एम0ओ0यू0 हेतु नोडल अधिकारी का नामांकन तथा नोडल अधिकारियों के स्थानान्तरण इत्यादि होने के फलस्वरूप नये अधिकारी का नामांकन व सम्बन्धित निवेशकर्ता को नये नोडल अधिकारी के सम्पर्क विवरण प्रेषित करना।
II. रू0 2000 करोड़ रूपये से अधिक के प्रत्येक एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना जैसा कि प्रस्तर-6 में उल्लिखित है।
III. प्रस्तर-5 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन सुनिश्चित कराना।
IV. यह सुनिश्चित कराना कि विभागों से सम्बन्धित सभी एम.ओ.यूज के सम्बन्ध में नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तर-6 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप निर्धारित तिथियों तक प्रत्येक एम.ओ.यू .के सम्बन्ध में अद्यतन स्टेटस अपलोड कर लिया गया है।
V. विभाग से सम्बन्धित सभी एम.ओ.यूज के विषय में निवेशकों अथवा अन्य विभागों से सम्बन्धित उन अवशेष रह रही समस्याओं के सम्बन्ध में प्रत्येक माह उद्योग बन्धु को अवगत कराया जाना, जिन बिन्दुओं का विभागीय स्तर पर अथवा प्रस्तर-5 में उल्लिखित अनुश्रवण हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में निराकरण सम्भव न हो पा रहा हो।

8- अतः प्रदेश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिये निवेश को आकर्षित करने तथा प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन में निवेशकों को सभी सम्भव सहयोग देने के उद्देश्य से उपरोक्त निर्देशों का कृपया कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्याः14/2020/1265(1)/77-6-2020-23(एम)/17 ,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
3. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।